<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर</u>
<u>पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा</u>

[illegible] 23/13

तारीख रजू– 12/02/2013

[illegible] पुत्र श्री फूलसिंह जाति राजपूत निवासी चौहानवास भूरी पहाडी तहसील खण्डार।

––अपीलार्थी

बनाम

[illegible] सिंह पुत्र फूलसिंह 2– निर्मला पत्नि गिरधारीसिंह 3– रेखा पत्नि शम्भूसिंह 4– कोशल्या पत्नि [illegible] समस्त जाति राजपूत निवासीयान चौहानवास भूरी पहाडी तहसील खण्डार। [illegible],खण्डार। [illegible] प्रबन्धक,एच.डी.एफ.सी.बैंक मानटाउन,सवाईमाधोपुर।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 14/12/15

[illegible] ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, [illegible] द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 1962 निर्णय दिनांक 23/07/12 वाके ग्राम भूरी [illegible] के विरूद्व पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस की तलबी जरिये सम्मन की गई व [illegible] मातहत से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पोडेण्टस संख्या 1 लगायत 4 व 6 की ओर से [illegible] अधिवक्ता उपस्थित हुए व रेस्पो. संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा अदालत [illegible] से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि [illegible] न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने के कारण [illegible] है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 101 रकवा 1 [illegible] बिश्वा मे से 8 बिश्वा, खसरा नम्बर 136 रकवा 2 बीघा 5 बिश्वा मे से 9 बिश्वा, खसरा नम्बर 105 [illegible] बीघा मे से एक बीघा भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की थी जिस पर अपीलार्थी का [illegible] काश्त है परन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य की जॉच किये बिना व अपीलार्थी को सुनवाई सबूत [illegible] प्रदान किये बिना अप्रार्थीगण से मिलकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो निरस्तनीय [illegible] विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि भूमि का बटवारा अपीलार्थी व अप्रार्थीगण के [illegible] पिता के जीवनकाल मे ही हो गया था तभी से उक्त भूमि को बटवारा अनुसार काश्त किया जा रहा [illegible] अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को अपने पिता फूलसिंह को विक्रय करने का कोई अधिकार नही था [illegible] भी अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क [illegible] कि अपीलार्थी ने इसी भूमि के संबंध मे एक वाद सहायक जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर के न्यायालय [illegible] किया जिसे सुनवाई हेतु उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर भेज दिया जिस पर दिनांक 18/06/09 [illegible] आदेश पारित किया गया कि मोके एंव रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे इसके उपरान्त भी [illegible] संख्या 6 ने रहन का इन्द्राज करवाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया जो [illegible] है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का स्वीकृत किया गया [illegible] नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील अपीलार्थीगण ने बहस मे [illegible] दिया कि अपीलार्थी ने उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है इस कारण प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु [illegible] खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन [illegible] कोरम मे खुला है तथा नामान्तरकरण कोरम मे खुलने के उपरान्त ही बैंक से ऋण लिया है [illegible] संख्या 6 ने राजस्थान कृषि अधिनियम,1974 की धारा (1) के अधीन घोषणा व समस्त वैधानिक

[illegible] जिला कलेक्टर
[illegible] माधोपुर

[illegible]कता पूर्ण करने के उपरान्त ही उक्त कृषि भूमि पर ऋण दिया है जिसमे किसी प्रकार की कता एंव अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत का अधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निकलता है कि अपील मे अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय उपजिला कलेक्टर के द्वारा स्थगन विक्रय के बारे मे जारी किया हुआ था उस आदेश के विपरीत बैंक के पक्ष मे नामान्तरकरण गलत दर्ज किया है उसे खारिज किया जावे। उनका तर्क उचित प्रतीत नही होता है क्योकि बैंक एक वित्तिय क्षेत्र की संस्था है जिसने रेस्पो0 को ऋण दिया है। यदि उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जाता है तो बैंक को ऋण की वसूली मे बाधा उत्पन्न होगी व रेस्पो0 को अप्रत्यक्ष तौर से फायदा होगा। उपजिला कलेक्टर के न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे पक्षकार भी नही था। रेस्पो0 ने बैंक को मुगालते मे रखकर ऋण लिया है तो रेस्पो0 के विरूद्व अपीलार्थी दावे मे अवमानना याचिका ला सकते है। अपील मे नामान्तरकरण निरस्त किये जाने से बैंक को नुकसान पहुचाना है अतः उसे खारिज किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत का अधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/12/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर